

USE OF LIFTS IN THE WILLINGDON HOSPITAL, NEW DELHI

*462. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of HEALTH be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Willingdon Hospital authorities have prohibited the use of lifts by the relations and friends of the patients during visiting hours;

(b) whether it is also a fact that the Class IV employees and other staff of the hospital make use of these lifts during the visiting hours; and

(c) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF HEALTH (SHRI D. P. KARMARKAR) : (a) The - use of lifts is restricted to the old and incapable relations of the patient during visiting hours.

(b) Class IV and other staff are not permitted to use lifts except when they have to carry heavy articles and are on emergency duty.

(c) The restrictions are considered necessary with a view to prevent frequent break-downs of the lifts as their spare parts are not available in India.

श्री नवाबसिंह चौहान : क्या यह सच है कि क्लास ४ के आदमी, यही नहीं कि जब वे भारी सामान ले जाते हैं उनको लिफ्ट से जाने की इजाजत होती है बल्कि ऐसे भी आमतौर से इजाजत दी जाती है ? अगर ऐसा है तो क्या बजह है कि जो मरीजों के रिश्तेदार हैं जो कभी कभी मरीजों को पहली बार दिखाने के लिये जाते हैं या खुद मरीज होते हैं, अपाहिज या बूढ़े होते हैं उनको इसी इजाजत नहीं दी जाती है ?

श्री डी० पी० करमकर : यह मुविधा आमतौर से उनको दी जाती है जो इन्फैन्सिटी होते हैं । उन्हें जाने भी दिया जाना

चाहिये क्योंकि नहीं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है । ये लिफ्ट जर्मनी से मंगाये गये हैं और इनके स्पेयर पार्ट्स यहाँ नहीं मिलते हैं इसलिये थोड़ा रिस्किंग करना पड़ता है । आमतौर से मेरे जैसा आदमी भी उसमें आसानी से जा सकता है ।

श्री नवाबसिंह चौहान : मेरा प्रश्न यह नहीं था । मेरा प्रश्न यह था कि जो मरीजों के रिश्तेदार होते हैं जो पहली बार मरीजों को लेकर दिखाने के लिये जाते हैं अगर उनको लिफ्ट से जाने की इजाजत नहीं दी जायगी तो पहली बार मरीज कैसे वहाँ जा सकेगा । साथ ही साथ ऐसे लोग, जो खुद कमजोर हैं और अपने रिश्तेदारों को देखने के लिये वहाँ जाते हैं, अगर लिफ्ट से जाने की उनको इजाजत नहीं दी जायगी तो कैसे काम चलेगा ? इसलिये क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कर के उन दिक्कों को हटाने का माननीय मंत्री जी का इरादा है ?

श्री डी० पी० करमकर : हाँ, जांच करेंगे । जितनी हद तक इतिजा हमारे पास है, वहाँ कोई एक्जामिनेशन इस बात का नहीं होता कि कौन रिश्तेदार का मरीज के साथ जाना है; और कौन मरीज है कौन नहीं । एक्जामिनेशन तब अलग ठिकाने से होता है । जब मरीज सर्टिफाई हो जाता है तब, ट्रीटमेंट के लिये उसको ले जाते हैं और उसके साथ किसी रिश्तेदार के जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके लिये अलग से एटेंडन्ट होता है जो मरीज के साथ जाता है ।

MEASURES TO CONTROL HYACINTH PEST

*463. SHRI ANSARUDDIN AHMAD: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Indian Council of Agricultural Research has expressed the opinion at a recent Board meeting that if the